न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सत्यनारायण आमेटा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 93 / 2011

तारीख दायरा—11.08.2011

तारीख निर्णय—18.05.2016

1. श्री हीरा पिता भैरा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्री कालुसिंह पिता श्री देवा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
2. श्री हीरा पिता खेमा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
3. श्री मोती पिता खेमा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
4. श्री लक्ष्मणसिंह पिता जोता राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
5. श्री भंवरसिंह पिता जोता राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
6. श्री नाना पिता सरदारिंग राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
7. श्री हमेरा पिता सरदारिंग राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
8. श्री चेनसिंह पिता तेजा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
9. श्री सुरजसिंह पिता तेजा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
10. श्री डुलसिंह पिता तेजा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
11. श्री किशनसिंह पिता तेजा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
12. श्री जालमसिंह पिता तेजा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
13. अम्बावी पुत्री तेजा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
14. श्रीमती रूपीबाई पत्नी तेजा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
15. श्री पनसिंह पिता भैरा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
16. श्रीमती नवली बाई बेवा भैरा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
17. श्री चुनसिंह पिता गला राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
18. श्रीमती सवागी बाई बेवा गला राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

19. श्री अन्ना पिता मोती राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
20. श्री कूपसिंह पिता राजा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
21. श्री चैना पिता तेजा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
22. श्री माधुगिरी पिता मोडगिरी निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
23. अम्बावी पुत्री भूरा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
24. भगी पुत्री भूरा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
25. मोवनी पुत्री भूरा राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
26. सकुडी पुत्री कन्ना राजपूत निवासी ढोल तहसील गोगुन्दा।
27. तहसीलदार जरिये भूमिधारी तहसील गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुरूषोतम पुरी गोस्वामी

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा ढोल पटवार क्षेत्र ढोल तहसील गोगुन्दा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 5781 रकबा 0.7000 है0, 5784 रकबा 0.9850 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादी का 2/9 हिस्सा होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है व मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा कर रखा है एवं उसी अनुरूप काश्त करते चले आ रहे है। वादी अपना 2/9 हिस्सा रेकर्ड में अलग करवाना चाहता है, जिस बाबत् प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा गया, परन्तु प्रतिवादीगण सहमत नही हुए एवं आये दिन लडाई झगड़ा करते रहते है। इसलिये वादी को माननीय न्यायालय आप में यह वाद संस्थित करना आवश्यक होने से वाद पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी का 2/9 हिस्सा अलग खाते करवाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 26 बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 27 भूमि

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने एवं जवाब पेश नही करना चाहने से जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही करना चाहने से वादी की साक्ष्य बन्द की गई एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है। वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है वादी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहता है। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 26 के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग-लगभग बराबर-बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा ढोल की आराजी नम्बर 5784/1 रकबा 0.1850, 5781/2 रकबा 0.1550 किता 02 कुल रकबा 0.3400 है0 भूमि का हीरा पिता भैरा राजपूत, आराजी नम्बर 5784/2 रकबा 0.1850, 5781/3 रकबा 0.1550 किता 02 कुल रकबा 0.3400 है0 भूमि का कालूसिंह पिता देवा, हीरा पिता खेमा, लक्ष्मणसिंह, भंवरसिंह पिता जोता, किशनसिंह, मीराबाई पिता मोती ना.बा.बविलायत माता भंवररीबाई, भंवरीबाई बेवा मोती, आराजी नम्बर 5784/5 रकबा 0.0850, 5781/1 रकबा 0.0750 किता 02 कुल रकबा 0.1600 है0 भूमि का नाना पिता हमेरा राजपूत, आराजी नम्बर 5784/4 रकबा 0.0500 है0 भूमि का किशनसिंह पिता वरदीसिंह राजपूत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आराजी नम्बर 5784 रकबा 0.3400 है0 भूमि डुलेसिंह, सुरतसिंह, जालमसिंह पिता तेजा 3/15, नवलीबाई बेवा भैरा 1/30, मीराबाई पत्नी जालमसिंह 1/15, चेना पिता तेजा 4/15, अम्बावी, भगी, मोवनी पिता भुरा, समुडी पिता

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

कनसिंह 2/15 माधुगिरी पिता मोहनगिरी 1/30, चन्द्रप्रकाश पिता देवीलाल 1/5, संतोषी देवी पिता किशनसिंह, हंजाबाई बेवा किशनसिंह 1/15 एवं आराजी नम्बर 5784/3 रकबा 0.1400 है0 भूमि कालुसिंह पिता देवा, हीरा पिता खेमा, किशनसिंह, मीराबाई पिता मोती ना.बा.व. माता भंवरीबाई, भंवरीबाई बेवा किशनसिंह, लक्ष्मणसिंह, भंवरसिंह पिता जोता 2/9, नाना पिता हमेरा 1/9, हीरा पिता भेरा 2/9, डुलेसिंह, किशनसिंह, सुरतसिंह, जालमसिंह पिता तेजा 1/9, नवलीबाई बेवा भैरा 1/72, किशनसिंह पिता वरदीसिंह 3/108, मीराबाई पत्नी जालमसिंह 1/36, चेना पिता तेजा 1/9, अम्बावी, भगी, मोवनी पिता भुरा, समुडी पिता कनसिंह 1/18, माधुगिरी पिता मोहनगिरी 1/72, चन्द्रप्रकाश पिता देवीलाल 12/144 सोनी, आराजी नम्बर 5781 रकबा 0.3150 है0 भूमि डुलेसिंह, सुरतसिंह, जालमसिंह पिता तेजा 3/16, संतोषीदेवी पिता किशनसिंह, हंजाबाई बेवा किशनसिंह 1/16, पनसिंह पिता भैरा, मु. नवलीबाई बेवा भैरा 1/16, चुनसिंह पिता गला 1/48, सवागीबाई पति गला 1/96, मीराबाई पत्नी जालमसिंह दसाणा 1/16, कुकसिंह मु. राजसिंह 1/16, चेना पिता तेजा 4/16, अम्बावी, भगी, मोवनी पिता भुरा समुडी पिता कनसिंह 4/16 माधुगिरी पिता मोडगिरी 1/32 के संयुक्त खातेदारी में रखी जाती है। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर